# फॉर्म आईएसआर - 3

## सूचीबद्ध कंपनियों में फिज़िकल प्रतिभूतियों के धारकों द्वारा नामांकन से ऑपटिंग-आउट होने के लिए घोषणा पत्र

(सेबी की परिपत्र संख्या को देखें SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 जिसे दिनांक 03 नवंबर, 2021, को आरटीए द्वारा निवेशक की सेवा अनुरोध को संसाधित करने हेतु सामान्य और सरलीकृत मानदंडों तथा पैन, केवाईसी विवरण एवं नामांकन करने के मानदंडों पर जारी किया गया है।)

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के अंतर्गत सन्दर्भित धारा 24(1)(क) के साथ-साथ सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11(1) और 11ख और सेबी की अनुसूची VII और विनियमन 101 (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियम, 2015 में खंड ग के अंतर्गत)]

कंपनी का नाम :
कंपनी का पंजीकृत पता:

मैं/हम ........................... प्रतिभूतियों के धारक, जिनके विवरण यहां दिए गए हैं, किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) **<u>को नामित नहीं करना चाहते हैं</u>**, जिसमें मेरी/हमारी मृत्यु की स्थिति में ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में सभी अधिकार निहित होंगे।

प्रतिभूतियों का विवरण (जिनके संबंध में नामांकन का विकल्प का चयन किया जा रहा है)

| प्रतिभूतियों की प्रकृति | फोलियो सं. | प्रतिभूतियों की संख्या | प्रमाणपत्र संख्या | विशिष्ट सं. |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

मैं/हम नामित व्यक्ति(ओं) की नियुक्ति न होने से जुड़ी समस्याओं को समझते हैं और इसके अतिरिक्त यह भी जानते हैं कि मेरी/हमारी मृत्यु की स्थिति में, मेरा/हमारा वारिस/प्रतिनिधि आवश्यक दस्तावेज/विवरण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है, जिनमें वसीयत या न्यायालय द्वारा जारी दस्तावेज जैसे फ़ैसला या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या प्रशासकीय पत्र/वसीयत की प्रोबेट या कोई अन्य दस्तावेज जो सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया हो, शामिल हैं, ताकि मेरी/हमारी उपर्युक्त प्रतिभूतियों का दावा किया जा सके।

प्रतिभूति धारकों का नाम और पता — हस्ताक्षर

एकमात्र/प्रथम धारक का नाम

द्वितीय धारक का नाम

तृतीय धारक का नाम

| गवाह का नाम और पता | हस्ताक्षर |
| --- | --- |
| | |